



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/2021/1600-9

दिनांक 02.06.2021

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन-अनुशासन मॉडिफाईड लॉक डाउन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देशों के अनुसरण में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए यह तय किया गया है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग में दिनांक 14 जून 2021 से 30 जून 2021 तक मात्र जयपुर शहर के कार्यालयों की द्वितीय अपील/परिवादों की सुनवाई पूर्व में सूचीबद्ध प्रकरणों अनुसार आयोग भवन में प्रातः 11 बजे से की जावेगी।

जयपुर शहर के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों की सुनवाई आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगी। उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

-sd-

(ममता राव)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम।
3. रजिस्ट्रार/डिप्टी रजिस्ट्रार
4. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड करें।
5. गार्ड प्रभारी को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली

sd

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर